fssai भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार
File No: FileNo. TIC/4/2022-IMPORTS-FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002. FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

**Dated: 16th November, 2026**

**Notification**

**Subject: Notification of Authorised Officer under Section 47 (5) of FSS Act, 2006 and Regulation 13 (1) of FSS (Imports) Regulations, 2017-reg.**

In line with the provisions contained in Section 47 (5) of FSS Act, 2006 and Regulation 13 (1) of FSS (Imports) Regulations, 2017, the Competent Authority hereby notifies the following officials as Authorised Officer for clearance of imported food at the following food import entry point of Western Region:

| S. No. | Name of the Authorised Officer | Name of the link officer | POE Name | POE Code | State/ Location | Place of Posting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ms. Pritha Ghosh (Joint Director) | Ms. Karuna Dhale (Assistant Director) | JN Port-III | INNSA1 | Maharashtra | Mumbai |

2. This Notification shall supersede all previous Notifications issued in respect of the above mentioned Point of Entry.

राजित पुनहानी, आई ए एस./RAJIT PUNHANI, I.A.S.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/Chief Executive Officer
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
(Ministry of Health & Family Welfare)
भारत सरकार/Govt. of India
एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, भारत
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002, INDIA

16/11/26

**(Rajit Punhani, IAS)**
**CEO, FSSAI**

To:- (For information and necessary action)

1. All Stakeholders for information and compliance.
2. The Director General, DGFT
3. The Joint Secretary, CBIC
4. The Additional Director General (ICEGATE) for the information.
5. The Additional Director General, Risk Management Division, CBIC
6. The Director(Customs), CBIC
7. The Commissioner (Single window project, CBIC)
8. The Regional Directors, FSSAI for Compliance.
9. Ms. Pritha Ghosh (Joint Director)

Copy to:-

1. The Executive Director (HR), FSSAI
2. The CITO, FSSAI-HQ (For uploading on the FSSAI Website)
3. Director, TICD for information

fssai भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार

File No: FileNo. TIC/4/2022-IMPORTS-FSSAI

# भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

**Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India**

**(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)**

**(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण)**

**एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002. FDA Bhawan,**

**दिनांक: 16 नवंबर, 2026**

## अधिसूचना

**विषय: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47 (5) और खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13 (1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की अधिसूचना।**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के निम्नलिखित खाद्य आयात प्रवेश बिंदु पर आयातित खाद्य पदार्थों की निकासी हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है।

| क्र. सं. | प्राधिकृत अधिकारी का नाम | लिंक अधिकारी का नाम | प्रवेश बिंदु (PoE) का नाम | PoE कोड | राज्य/स्थान | पोस्टिंग स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सुश्री प्रीथा घोष (संयुक्त निदेशक) | सुश्री करुणा धाले (सहायक निदेशक) | जेएन पोर्ट–III | INNSA1 | महाराष्ट्र | मुंबई |

2. यह अधिसूचना उपर्युक्त प्रवेश बिंदु (Point of Entry) के संबंध में पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करेगी।

राजित पुनहानी, भा.प्र.से./RAJIT PUNHANI, I.A.S.
Executive Officer

16/11/26

**(राजित पुनहानी, भा.प्र.से)**
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

सेवा में:- (सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

1. सभी हितधारकों को सूचना एवं अनुपालन हेतु।
2. महानिदेशक, डी.जी.एफ.टी.
3. संयुक्त सचिव सी.बी.आई.सी
4. अतिरिक्त महानिदेशक (ICEGATE)
5. अतिरिक्त महानिदेशक, जोखिम प्रबंधन प्रभाग, सीबीआईसी
6. निदेशक (सीमा शुल्क), सीबीआईसी
7. आयुक्त (एकल खिड़की परियोजना, सीबीआईसी)
8. क्षेत्रीय निदेशक, एफ.एस.एस.ए.आई.
9. सुश्री प्रीथा घोष (संयुक्त निदेशक)

प्रतिलिपि:-

1. कार्यकारी निदेशक (एच.आर), एफ.एस.एस.ए.आई.
2. सीआईटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई.-मुख्यालय (एफ.एस.एस.ए.आई. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
3. निदेशक, TICD - सूचनार्थ